

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन –456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(Ministry of HRD, Govt. of India) Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

दिनांक 4 जुलाई, 2018

स्पष्टीकरण

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के स्वीकृत दिशा—निर्देशानुसार छात्रों की रख—रखाव छात्रवृत्ति राशि रु० 1500/— संबंधित संस्था/वेदपाठशाला ईकाइ/गुरु अध्यापक के खाते में हस्तांतरित की जाती है जबकि रु०500/— छात्रों की छात्रवृत्ति राशि छात्र/छात्रा के माता—पिता के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जानी है ।

यह संयुक्त खाता छात्र के साथ उसके माता या पिता (उनके जीवित ना होने पर ही शपथ पत्र में केवल अभिमावक) के साथ किसी भी शिड्यूल बैंक में खुला होना चाहिये जो बैंक नियमानुसार संचालित किया जा सकता है ।

पासबुक में खाता धारक छात्र का नाम तथा पिता/माता/अभिभावक का नाम उनके जीवित ना होने पर, स्पष्ट रूप से मुद्रित होना चाहिये । हस्तलिखित नाम मान्य नहीं होंगे ।

(प्रो० विरूपाक्ष वि० जड्डीपाल्)

सचिव

Clarification

Under the approved guidelines of Maharishi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan, the maintenance scholarship amount of Rs.1500 / - per month is transferred to the Bank Account of Institute / Veda Pathashala, Unit/ Guru account while Rs.500 / - per month student scholarship is to be deposited in to the Joint Bank Account of the student with his/her parent.

This joint account should be opened in any Scheduled Bank, with the joint name of student with Father or Mother (if they are not alive, in such case with the name of Guardian with the affidavit only) which can be operated according to the bank rules.

On Passbook the A/c holder student name and father/mother/ Guardian name if parent are not alive should be printed. Handwritten names will not be accepted.

(Prof. Viroopaksha V. Jaddipal)

Secretary